

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 93/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए. एव 136 एलआरएक्ट

1. हरिन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन चकप्रतापनगर तहसील संगरिया।
2. अमरजोत कौर पत्नि नरिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन चकप्रतापनगर तहसील संगरिया।
3. गुरशिवरीत सिंह पुत्र श्री नरिन्द्र सिंह ना.ज.कु.बली माता अमरजोत कौर पत्नि नरिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. गुरमेल कौर पत्नि महेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर (फौत)
2. ओमप्रकाश पि.नानकराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
3. लालचन्द्र पि.नानकराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
4. देवीलाल पि.नानकराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
5. सरदूल सिंह पि.नानकराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
6. सुनिता पुत्री दलीप जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
7. सिकन्दर पुत्र दलीप जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
8. अखिल पुत्र जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
9. बहादुरराम पुत्र पिथाराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
10. साहबराम पुत्र पिथाराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
11. सहीराम पुत्र पीथाराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
12. रूपराम पुत्र पीथाराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
13. सुमन पत्नि रविन्द्र कुमार जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
14. अनुराग पुत्र श्री रविन्द्र कुमार ना.ज.कु.बली माता सुमन पत्नि रविन्द्र कुमार जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
15. सुनील कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
16. रामकुमार पुत्र बहादुर राम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
17. बनवारी लाल पुत्र बहादुर राम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
18. जगदीश प्रसाद पुत्र बहादुर राम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
19. कृष्ण लाल पुत्र बलराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
20. इमीलाल पुत्र बलराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
21. महावीर प्रसाद पुत्र बलराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
22. हसराम पुत्र बलराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
23. तहसीलदार राजस्व संगरिया
24. राजेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 27.5.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री वकील
प्रतिवादी संख्या मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.
संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

1. हरिन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 1/2 हि. 2 अमरजोत कौर पत्नि नरिन्द्र सिंह 3 गुरशिवरीत सिंह
पुत्र नरिन्द्र सिंह ना.ज.कु. बली माता 1/2 हि. अमरजोत कौर पत्नि अमर सिंह जाति जट सिख

क कलक्टर एकीवासी चक प्रतापनगर प.नं. 156/178 मु.नं. 44 कि.नं 6 ता 15/2.530 है.
खण्ड अधिकारी
संगरिया

2. हरिन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 1/2 हि. 2 अमरजोत कौर पत्नि नरिन्द्र सिंह 3 गुरशिवरित सिंह पुत्र नरिन्द्र सिंह ना.ज.कु. बली माता अमरजोत कौर पत्नि अमर सिंह 1/2 हि. जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर हाल आबाद गांव धूडकोट तहसील मोगा (पंजाब) प.नं 155/179 मु.नं. 49. कि.नं 3/1/228 है. 3/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल:-0.253 हेक्.
3. हरिन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 1/2 हि 2 अमरजोत कौर पत्नि नरिन्द्र सिंह 3 गुरशिवरित सिंह पुत्र नरिन्द्र सिंह ना.ज.कु. बली माता अमरजोत कौर पत्नि अमर सिंह 1/2 हि. जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर हाल आबाद गांव धूडकोट तहसील मोगा (पंजाब) प.नं. 150/125 मु.न. 40 का कि.न. 13 ता 18/1.518 है 23 ता 25/0.759

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4821 दिनांक 26.12.2024 एव पत्रांक 939 दिनांक 24.02.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एव बैयनामा भादररोम वगैरा बहक महेन्द्र सिंह पुत्र स.रामसिंह दिनांक 10 मई 1968 अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.27.5.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधीक्षक संगरिया